



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022021-225009
CG-DL-E-08022021-225009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942

No. 48]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

सरकारी प्रतिभूतियों (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए विशेष नीलामी

फा.सं. 4(5)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020.—भारत सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
5.15% सरकारी प्रतिभूति, 2025	09 नवंबर, 2020	05-00-00	09 नवंबर, 2025	मूल्य	विविध	11,000
5.85% सरकारी प्रतिभूति, 2030	01 दिसम्बर, 2020	10-00-00	01 दिसम्बर, 2030	मूल्य	विविध	11,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के परिपेक्ष्य में 2,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 11 फरवरी, 2021 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 11 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 11 फरवरी, 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 12 फरवरी, 2021 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
5.15% सरकारी प्रतिभूति, 2025	5.15	नई प्रतिभूति	11 फरवरी, 2021	09 मई और 09 नवंबर
5.85% सरकारी प्रतिभूति, 2030	5.85	नई प्रतिभूति	11 फरवरी, 2021	01 जून और 01 दिसम्बर

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

अनुबंध**सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम**

I. कार्यक्षेत्र: सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

अपवाद: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद: ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता: उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश:

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य होगा। कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन दिनांकित प्रतिभूति की किसी नीलामी में केवल एक बोली में भाग ले सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना होगा।
2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित अप्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा। असाधारण परिस्थितियों, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली में सामान्य गड़बड़ी को छोड़कर, भौतिक रूप में अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगा, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।
4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का दायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें।
5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में शामिल किया जाएगा।
6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसा कि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है।
7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का दायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।
9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि किसी अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2021

Special Auction for Sale (Re-issue) of Government Securities (GS)

F.No. 4(5)-B(W&M)/2020.—Government of India hereby notifies sale (Re-issue) of the following Government Securities:

Name of the Security	Date of Original Issue	Original Tenure (yy-mm-dd)	Date of Maturity	Auction Basis	Auction Method	Notified Amount (in ₹ Crore)
5.15% GS 2025	Nov.09, 2020	05-00-00	Nov.09, 2025	Price	Multiple	11,000
5.85% GS 2030	Dec.01, 2020	10-00-00	Dec.01, 2030	Price	Multiple	11,000

Government of India will have the option to retain additional subscription up to ` 2,000 crore against each of the above securities. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification'). The Securities will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)-W&M/2018, dated March 27, 2018 issued by the Government of India.

Allotment to Non-competitive Bidders

2. The Government Securities up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (**Annex**).

Place and date of auction

3. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001 on **February 11, 2021**. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on **February 11, 2021**. The non-competitive bids should be submitted between **10.30 a.m. and 11.00 a.m.** and the competitive bids should be submitted between **10.30 a.m. and 11.30 a.m.**

When Issued Trading

4. These Securities will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Date of issue and payment for the securities

5. The result of the auction shall be placed by the Reserve Bank of India on its website (www.rbi.org.in) on **February 11, 2021**. The payment by successful bidders will be on **February 12, 2021** i.e. the date of **re-issue**. The payment for the Securities will include accrued interest on the nominal value of the Securities allotted in the auction from the date of original issue/last coupon payment date to the date up to which accrued interest is due as mentioned in the table in para 6.

Payment of Interest and Re-payment of Securities

6. Interest will accrue on the nominal value of the Securities from **the date of original issue/last coupon** payment and will be paid half yearly. The Securities will be **repaid at par** on date of maturity.

Name of the	Coupon	Date of Last Coupon	Date upto which	Date of Coupon
-------------	--------	---------------------	-----------------	----------------

Security	rate (%)	payment	accrued interest is due	payments (month/date)
5.15% GS 2025	5.15	New Security	February 11, 2021	May 09 and Nov.09
5.85% GS 2030	5.85	New Security	February 11, 2021	June 01 and Dec.01

By Order of the President of India,
RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.

Annex

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. **Scope:** With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, it is proposed to allow participation on “non-competitive” basis in *select* auctions of dated Government of India (GoI) securities. Accordingly, non-competitive bids *up to 5 percent* of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be **within** the notified amount.

II. **Eligibility:** Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI securities will be open to investors who satisfy the following:

- do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India. Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.
- make a single bid for an amount not more than ₹ two crore (face value) per auction
- submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

III. Coverage: Subject to the conditions mentioned above, participation on “non-competitive” basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be ₹ 10,000 (face value) and thereafter in multiples in ₹ 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines:

- The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction of a dated security. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.
- Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents for each security in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System. Except in extraordinary circumstances such as general failure of the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System, non-competitive bid in physical form will not be accepted.
- Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients or not.
- In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
- In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.
- Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (*face value*) to

be credited to their SGL account and the CSDL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover upto six paise per ₹ 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.